मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली

संख्याः सी–13/13/1/2013–सतर्कता दिनांकः 01 जुलाई, 2014

सेवा में,

1. सभी क्षेत्रीय निदेशक
2. निदेशक (चिकित्सा)दिल्ली/निदेशक (चिकित्सा)नोएडा
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल/व्या.रोग केन्द्र
4. निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक(वित्त),क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम अस्पताल, व्या.रो.केन्द्र निदेशक (चिकित्सा)दिल्ली/निदेशक (चिकित्सा)नोएडा
6. संयुक्त निदेशक(प्रशा.), स्थापना शाखा–2, मुख्यालय ।

विषयः विभागीय जांच के लिए क.रा.बी.निगम के सेवानिवृत्त अधिकारियों का नामिकायन/मानदेय मंजूर करना इत्यादि ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर परिचालित दिनांक 01.05.2013 की संख्या जेड–12/12/10/विविध/12–सत., दिनांक 15.07.2013 की संख्या ए–22/13/1/2013(स्था.1) (खंड–2) तथा दिनांक 06.09.2013 की संख्या सी–13/13/1/2013–सत. के अनुदेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराया जाता है । दिनांक 06.09.2013 के परिपत्र/अनुदेशों के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्यरत अधिकारियों से बल देकर कहा गया था कि जब भी आवश्यक लगे अनुशासिक कार्रवाइयों में विभागीय जांच समय पर पूर्ण करने और लंबित मामलों में कमी सुनिश्चित करने के लिए जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु प्रमाणित सत्यनिष्ठा एवं व्यवसायी सक्षमता वाले कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों की नामिका बनाएं । जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों का मानदेय दिनांक 15.07.2013 के अनुदेशों के अनुसार नियंत्रित होगा ।

यह देखा गया है कि अनुशासनिक मामलों के लंबित होने की संख्या अभी भी उच्च है और जांच अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति कर लंबित मामलों को कम करने के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किए गए हैं । इसलिए एक बार पुनः अनुरोध किया जाता है कि इस संबंध में अविलंब कार्रवाई करें और हुई प्रगति के बारे में इस कार्यालय को सूचित करें । यह दोहराया जाता है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिकारी निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा करते हों :–

1. जिस वर्ष अधिकारी जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त होते हैं तब 01 जुलाई को उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हो ।
2. शारीरिक एवं मानसिक रूप से उनका स्वास्थ्य अच्छा हो ।
3. उन पर सतर्कता संबंधी मामला ना हो ।
4. सेवा के दौरान वे किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध नहीं ठहराए गए हों या किसी अनुशासनिक कार्यवाही में उन पर दीर्घ शास्ति नहीं लगाई गई हो ।

जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी को निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों का पालन करना होगा :–

i) वे किसी ऐसे अन्य व्यवसायी कार्य या सेवा में नियुक्त नहीं होंगे जिससे क.रा.बी.निगम में जांच अधिकारी के रूप में उनके कर्त्तव्यों के निष्पादन में हस्तक्षेप की संभावना हो।

ii) उन्हें जांच से संबंधित प्राप्त किसी दस्तावेज या उनके द्वारा संग्रहित सूचना/तथ्य के संबंध में कड़ी गोपनीयता बनाए रखनी होगी और उनका उपयोग केवल उन्हें सौंपी गई जांच के

वेबसाइट की विषय–सूची का प्रबन्धन.........
Website Contents Management.........
डायरी सं./Diary No. 554
दिनांक/Date 28/7/2014

उद्देश्य से करेंगे । जांच अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु चुने गए सेवानिवृत्त अधिकारी से सभी रिकार्ड/दस्तावेज/कार्यवाही इत्यादि की कड़ी गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में वचनबंध प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

iii) वे जांच की कार्यवाही यथासंभव गवाह एवं आरोपित अधिकारी की सुविधा के स्थान पर स्थित क.रा.बी.निगम के कार्यालय परिसर में ही करेंगे ।

iv) उन्हें ऊपर यथासूचित पारिश्रमिक/मानदेय के भुगतान का पात्र बनने के लिए जांच अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति की तिथि से अधिमानतः छह माह के भीतर जांच पूरी कर उन्हें जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी । यदि कोई विलंब होता है तो अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी(सी.डी.ए.) की संतुष्टि के लिए इसका कारण बताना होगा ।

v) सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह किसी जांच के जांच अधिकारी को बिना किसी नोटिस के एवं कोई कारण बताए बिना बदल दे ।

vi) क.रा.बी.निगम किसी जांच अधिकारी को किसी भी समय बिना किसी नोटिस के या बिना किसी कारण बताए नामिका से बाहर रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों को मानदेय/यात्रा भत्ता का भुगतान दिनांक 15.07.2013 की संख्या ए–22/13/1/2013/स्था.1(खंड–2) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा ।

जांच अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों के नामिकायन को शासित/नियंत्रित करने के अन्य निबंधन एवं शर्तों का पालन कड़ाई से किया जाएगा, जैसा कि दिनांक 01.05.2013 को तथा पूर्व में समय–समय पर जारी पत्रों के द्वारा परिचालित किया गया है ।

इस पत्र के पावती की सूचना दी जाए और अनुदेशों के अनुसरण में की गई कार्रवाई के बारे में भी सूचित किया जाए ।

भवदीय,

(आर.एस. बिशनोई)
संयुक्त निदेशक(सतर्कता)

प्रतिलिपिः

1. महानिदेशक/वित्त आयुक्त/बीमा आयुक्त(राजस्व)/बीमा आयुक्त(का. एवं प्रशा.)/बीमा आयुक्त(भर्ती)/बीमा आयुक्त(सू.सं.प्रौ.)/चिकित्सा आयुक्त के निजी सचिव को अधिकारियों की सूचना हेतु प्रेषित ।
2. निदेशक/संयुक्त निदेशक(आंचलिक सतर्कता) को सूचनार्थ ।
3. निदेशक/संयुक्त निदेशक(विभागीय जांच) को सूचनार्थ ।
4. शाखा अधिकारी/सभी शाखाएं, क.रा.बी.निगम, मुख्यालय को सूचनार्थ ।
5. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक, मुख्यालय को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

संयुक्त निदेशक(सतर्कता)

Documents and Settings\ESICHQ\Desktop\BDM\Vij\vij.doc

35

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Government of India)
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi

No.C-13/13/1/2013-Vig. Dated: 01 July 2014

To
1 All Regional Directors
2 Director(Medical)Delhi/Director(Medical)Noida
3 Medical Superintendents, ESIC Hospitals/Model Hospitals/ODCs
4 Directors/Joint Director Incharge, Sub Regional Offices
5 Joint Director/Dy.Director(Finance), Regional Offices/ESIC Hospitals/ODCs/Director(Medical)Delhi/Director(Medial)Noida
6 Joint Director(Admn.), Estt. Branch-II, Hqrs. Office

Subject: Empanelment of retired officers of ESIC for conducting Departmental Enquiries/grant of honorarium etc.

Sir,

Your kind attention is invited to the instructions circulated vide No.Z-12/12/10/Misc./12-Vig. dated 01.05.2013, No.A-22/13/1/2013(E-I)(Vol.II dated 15.07.2013 and also No.C-13/13/1/2013-Vig. dated 06.09.2013 on the subject cited above. As per circular/instructions dated 06.09.2013, it was emphasized upon all the officers acting as Disciplinary Authority, to empanel some retired officers of proven integrity and professional competence for appointment as Inquiry Officer, whenever required, to ensure timely completion of the Departmental Enquiries in disciplinary proceedings and to liquidate the pendency. Honorarium to such retired officers, appointed as Inquiry Officers is to be regulated in accordance with the instructions dated 15.07.2013.

It has been observed that still the pendency of the disciplinary cases, is on higher side and desired efforts have not been made to liquidate the pendency by appointing retired officers as Inquiry Officers. It is, therefore, again requested to take appropriate action urgently in this regard and inform the progress to this office. It is further reiterated that while appointing the retired officers as Inquiry Officers and for their empanelment, it should be ensured that the officer fulfills the eligibility criteria as follows:-

1. He/she is not more than 65 years of age as on 1st July of the year, in which the officer is appointed as Inquiry Officer.
2. He/she should be in sound health, physically and mentally.
3. He/she should be free from Vigilance angle.
4. He/she should not have been convicted in any criminal case or inflicted with a major penalty in any disciplinary proceedings during service.

The retired officer, who is engaged, as Inquiry Officer, shall have to abide by the following terms & conditions:-

i) He/she shall not engage himself/herself in any other professional work or service, which is likely to interfere with the performance of his duties as Inquiry Officer in ESIC.
ii) He/she shall maintain strict secrecy in relation to the documents, he/she receives or information/data collected by him/her in connection with the

Inquiry and utilize the same only for the purpose of Inquiry entrusted to him/her. The retired officers so selected to work as Inquiry Officer will be required to furnish an undertaking to maintain strict secrecy and confidentiality of all records/documents/proceedings etc.

iii) He/she shall conduct the inquiry proceedings only in the office premises of the ESIC at a station of convenience of the witnesses and charged officer as far as possible.

iv) He/she shall submit the Inquiry Report, after completing the inquiry, preferably within six months from the date of his appointment as Inquiry Officer to become eligible for payment of remuneration/honorarium as indicted above. In case of any delay, the Inquiry Officer shall have to explain reasons for the same to the satisfaction of the Competent Disciplinary Authority (CDA) while submitting his Inquiry Report.

v) The CDA will be within his/her right to change the Inquiry Officer of any inquiry without notice and without assigning any reason.

vi) The ESIC reserves its right to de-empanel any Inquiry Officer at any time without notice and without assigning any reason.

The honorarium/transport allowance to the retired officers appointed as Inquiry Officers shall be paid in accordance with the instructions issued vide No.A-22/13/1/2013/E.I(Vol.II) dated 15.07.2013.

Other terms & conditions to govern/regulate the empanelment of retired officers as IOs should also be adhered to strictly as circulated vide letter of dated 01.05.2013 and circulated earlier from time-to-time.

Receipt of this letter may please be acknowledged and action taken in pursuance of the instructions may also be informed.

Hindi version will follow.

Yours faithfully,

(R.S. Bishnoi)
Joint Director (Vigilance)

Copy to:-

1. PS/PA to Director General/Financial Commissioner/ Insurance Commissioner (Revenue)/ Insurance Commissioner (P&A)/ Insurance Commissioner (Recruitment)/ Insurance Commissioner (ICT Division)/ Medical Commissioner for information of the officers please.
2. The Directors/Joint Directors(Zonal Vigilance) for information.
3. The Directors/Joint Directors(Departmental Enquiry) for information.
4. Branch Officers, all branches in ESIC Hqrs. Office for information.
5. Website content manager, ESIC, Hqrs. Office.
6. Hindi Cell for Hindi Translation please.

Joint Director(Vigilance)